छात्र जान सकेंगे किसने किया दस्तावेज का दुरुपयोग

गड़बड़ियां रोकने के लिए एनआईसी ने तैयार किया नया वेब एप, छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर उपलब्ध इस एप पर करना होगा क्लिक

केस 1

आकाश सिंह सिकरवार का हाईस्कूल (यूपी बोर्ड) का रोल नंबर 001234 है। इस रोल नंबर का इस्तेमाल करते हुए 32 छात्रों ने छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की रकम ली है। इन छात्रों की न तो कक्षा समान है और न ही संस्थान। उन्हें कक्षा-11 से लेकर बीए और बीएससी तक का छात्र दिखाया गया है। इस घपले को प्रतापगढ़, फर्रुखाबाद, कौशाम्बी, मेरठ, सहारनपुर, देवरिया, जौनपुर, बाराबंकी आदि जिलों के शिक्षण संस्थानों ने अंजाम दिया है।

केस 2

आमिर खान का हाईस्कूल (यूपी बोर्ड) का रोल नंबर 0001236 है। इस रोल नंबर से 22 विद्यार्थियों को कौशाम्बी, लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर नगर, सहारनपुर, बलिया, जौनपुर, शाहजहांपुर और वाराणसी के शिक्षण संस्थानों से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की रकम दी गई है। इन सभी को इंटरमीडिएट से लेकर बीए और बीएससी का विद्यार्थी बताया गया है।

अजीत बिसारिया

लखनऊ। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में अब किसी भी छात्र के हाईस्कूल के अंक पत्र का गलत इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। किसी भी छात्र के लिए खुद भी यह पता लगाना मुमकिन हो गया है कि उसके अंक पत्र का किसने और कहां गलत इस्तेमाल किया है। इसके लिए राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने एक नया वेब एप विकसित किया है, जिसे छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

आकाश और आमिर के उदाहरण से यह समझना मुश्किल नहीं कि इस योजना में बड़े पैमाने पर एक ही अंक पत्र को कई बार इस्तेमाल करके छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की रकम हड़पने के मामले आम हो गए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में भी एनआईसी ने ऐसे हजारों मामले पकड़े और दूसरों के अंक पत्र इस्तेमाल करने वालों के आवेदन पत्र खारिज कर दिए थे। अब इस तरह की गड़बड़ियां पहली ही नजर में पकड़ने के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। इसके लिए छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर 'सर्च स्टूडेंट्स डिटेल' एप दिया गया है। इस पर क्लिक करते ही बोर्ड, कक्षा पास करने का वर्ष और रोल नंबर की जानकारियां मांगी जाती है। इन्हें भरते ही पता लग जाता है कि उस रोल नंबर का अंक पत्र किस छात्र को जारी किया गया है। साथ ही यह भी जानकारी मिल जाती है कि उस अंक पत्र का अवैध ढंग से अन्य कितने 'छात्रों' ने इस्तेमाल किया है। जिन संस्थानों में इनका इस्तेमाल हुआ है, उनका पूरा ब्यौरा भी सामने आ जाता है। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की नोडल एजेंसी समाज कल्याण विभाग का कहना है कि शिक्षण संस्थान ही इस घपले को अंजाम देते हैं। वे बल्क में छात्रों के अंक पत्रों की फोटो कॉपी अपने पास रख लेते हैं, बाद में इन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन, नया एप लॉन्च होने से अब ऐसा करना आसान नहीं होगा।

एनआरएचएम घोटाला

सीबीआई के राडार पर कई और लोग

- जिनके यहां छापा पड़ा उनके दर्ज होंगे बयान

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। एनआरएचएम घोटाले में सीबीआई अभी कुछ और लोगों के यहां छापामारी कर सकती है। सीबीआई के राडार पर पांच से अधिक लोग हैं, जिनकी निगाहबानी की जा रही है। जिनके यहां सीबीआई ने बुधवार को छापामारी की, उनके भी अब बयान दर्ज करने का सिलसिला शुरू होगा।

सीबीआई सूत्रों का कहना है कि जिस तरह परिवार कल्याण विभाग के डीजी पद पर तैनात रहते हुए चिकित्साधिकारियों ने मनमाने तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाकर धांधलेबाजी की, वह चौंकाने वाला है। इन अधिकारियों ने फर्जी टेंडर पर कुछ खास फर्मों को मनमर्जी से लाखों-करोड़ों का काम दे दिया। वह भी एक ही टेंडर पर तीन-तीन बार टेंडर दे दिए गए और उनका भुगतान भी काम होने से पहले ही कर दिया गया। इस बात की भी परवाह नहीं की गई कि जिस काम को नियमों के विरुद्ध किया जा रहा है, उसमें भुगतान भी बाजार से दोगुने या अधिक दाम पर किया गया।

जांच से जुड़े सीबीआई अफसरों का कहना है कि टेंडर देने और भुगतान करने की प्रक्रिया में विभाग के कुछ और लोग जुड़े हुए हैं। इसके बगैर यह धांधलेबाजी हो ही नहीं सकती थी। ऐसे लोगों को चिह्नित किया गया है और उनके खिलाफ साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। साक्ष्य मिलने के साथ ही इनके यहां भी छापामारी की जानी है। इस बीच सीबीआई उन लोगों से पूछताछ कर बयान दर्ज करने की तैयारी कर रही है, जिनके यहां छापामारी की गई थी। सूत्रों का कहना है कि जिन फर्मों ने टेंडर हासिल कर करोड़ों के वारे-न्यारे किए, उनके संचालकों से भी पूछताछ होनी है। उनसे पूछा जाना है कि मनमाना टेंडर हासिल करने के लिए उन्होंने किसे कितना कमीशन दिया। कमीशन नकद दिया गया या किसी के बैंक खाते में जमा किया गया। यह सारी जानकारी हासिल की जाएगी। इसके बाद यह देखा जाएगा कि आरोपियों के यहां से जो करोड़ों की संपत्ति के जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, वह संपत्ति कमीशन की रकम से ही खरीदी गई है अथवा किसी और तरीके से अर्जित रकम से। सीबीआई इसकी जानकारी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को देगी।

स्कूलों के 100 मीटर के दायरे में नो ट्रैफिक जोन

बच्चों को दी जाएगी सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी

लखनऊ (ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने सरकारी व निजी स्कूलों के सौ मीटर के दायरे को 'नो ट्रैफिक जोन' घोषित कर दिया है। बेसिक शिक्षा निदेशक दिनेश बाबू शर्मा ने इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। स्कूलों में बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए हर स्कूल में एक नोडल शिक्षक नामित किया जाएगा।

बेसिक शिक्षा निदेशक ने कहा है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद में इस संबंध में निर्णय किया गया है। सभी स्कूलों में नामित नोडल शिक्षक की कंप्यूटरीकृत सूची रखी जाएगी और इसकी एक प्रति विकास खंड स्तर के अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी को दी जाएगी। हर माह कम से कम 10% स्कूलों में यातायात नियमों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें परिवहन व पुलिस विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। सड़क सुरक्षा पर चित्रकला व वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। यातायात प्रबंधन के लिए स्काउट गाइड छात्रों का भी सहयोग लिया जाएगा।

हर माह कम से कम 10 प्रतिशत स्कूलों में यातायात नियमों के बारे में दिया जाएगा प्रशिक्षण

स्मार्ट कार्ड से बस का टिकट 10% सस्ता

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में एसबीआई के स्मार्ट कार्ड से सफर करना 10 फीसदी सस्ता हो गया है। यानी यात्री स्मार्ट कार्ड से सफर करने पर किराए में 10 फीसदी की छूट पाएंगे। साधारण बस और वॉल्वो में यह छूट तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। वहीं, बस ड्राइवर और कंडक्टर नए एसबीआई स्मार्ट कार्ड यात्रियों को बेंचेंगे (पंजीयन) तो उनको रजिस्ट्रेशन शुल्क में से पांच रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा।

परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक मुकेश कुमार मेश्राम ने बताया कि बृहस्पतिवार को इस सिलसिले में सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों व ट्राइमेक्स कंपनी को निर्देश दे दिए गए हैं। जिसका जल्दी ही आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। प्रबंध निदेशक ने बताया कि यात्रियों की डिमांड पर किराए में पांच फीसदी की छूट को बढ़ाकर दस फीसदी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस बाबत ट्राइमेक्स कंपनी को निर्देशित किया गया है कि वह इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन में छूट की फीडिंग कर दे।

प्रधान प्रबंधक (आईटी) विनीत सेठ ने बताया कि अब जिस नए स्मार्ट कार्ड का रजिस्ट्रेशन एसबीआई टीम के द्वारा किया जाएगा तो रजिस्ट्रेशन शुल्क 30 रुपये उसके खाते में जाएगा। लेकिन नए स्मार्ट कार्ड का रजिस्ट्रेशन कराने वाले ड्राइवर व कंडक्टर रजिस्ट्रेशन शुल्क 30 रुपये में से पांच रुपये प्रोत्साहन के रूप में पाएंगे।

ड्राइवर व कंडक्टर पाएंगे स्मार्ट कार्ड रजिस्ट्रेशन पर प्रोत्साहन राशि

ड्राइवर ₹50 में कराएंगे बस सफाई

परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक ने अब बस सफाई और धुलाई की जिम्मेदारी ड्राइवर को सौंप दी है। ड्राइवरों को इस बस की सफाई-धुलाई के एवज में 50 प्रति बस के रेट से भुगतान किया जाएगा। लेकिन बस की सफाई न होने पर ड्राइवरों की ही जवाबदेही होगी। प्रबंध निदेशक ने बताया कि ड्राइवरों को वर्कशॉप में सफाई-धुलाई के संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। इस सिलसिले में मुख्य प्रधान प्रबंधक (प्राविधिक) सत्यनरायन को निर्देशित किया गया है।

स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट पर रोक

- अनियमितता की शिकायत पर स्वास्थ्य मंत्री ने दिए निर्देश
- निदेशक प्रशासन को सौंपी गई मामले की जांच

लखनऊ (ब्यूरो)। स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता के एक वर्षीय प्रशिक्षण के लिए हुई प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। 540 पदों के लिए यह परीक्षा पांच जुलाई को हुई थी। इस परीक्षा में अनियमितता के आरोपों को देखते हुए मंत्री ने यह कार्रवाई की है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की निदेशक प्रशासन रितु माहेश्वरी को इसकी जांच सौंपी है।

प्रवेश परीक्षा कराने का जिम्मा एक निजी एजेंसी को दिया गया था। इस परीक्षा में धांधलियों के आरोप लगे हैं। कई जनप्रतिनिधियों ने भी स्वास्थ्य मंत्री से इसकी शिकायत की है। शिकायतों में कहा गया कि जिस एजेंसी को परीक्षा का काम सौंपा गया उसने स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण के अभ्यर्थियों से भी चयन के नाम पर वसूली की है। प्रवेश परीक्षा से पहले एक जुलाई को 750 अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र बदल दिए गए। मंत्री ने शिकायतों के बाद प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को प्रवेश परीक्षा के परिणाम रोकने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद सरकार इस पर विचार करेगी। तब तक यह परीक्षाफल घोषित नहीं किया जाएगा।

सिंचाई विभाग के 60 अभियंता पदावनत

- सरकार ने जारी किए आदेश, पर कम नहीं होगा एक भी रुपये वेतन
- आरक्षण का लाभ लेकर प्रमोशन लेने का मामला

लखनऊ (ब्यूरो)। सिंचाई विभाग में आरक्षण का लाभ लेकर प्रमोशन पाने वाले 60 अभियंताओं को पदावनत कर दिया गया है। यह सभी क्लास वन श्रेणी के अभियंता हैं। इस संबंध में गुरुवार को प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिए। सरकार ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठाया है। हालांकि पदावनत होने वाले अभियंताओं का एक भी रुपये वेतन कम नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति को गलत ठहराते हुए 27 अप्रैल 2012 को इस संबंध में आदेश दिए थे। जब पदोन्नति में आरक्षण पाने वाले कर्मियों को पदावनत नहीं किया गया तो कुछ लोगों ने अवमानना याचिका दाखिल की। इसी मामले में पहले नियुक्ति विभाग ने सिंचाई विभाग को पदावनत करने के आदेश दिए। इसके बाद प्रमुख सचिव सिंचाई ने भी ऐसे कर्मियों की सूची बनाकर उन्हें पदावनत करने की बात कही। बीते मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में भी अभियंताओं को पदावनत करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई थी। इसी के बाद गुरुवार को प्रमुख सचिव सिंचाई ने 60 अभियंताओं के पदावनत करने के औपचारिक आदेश जारी कर दिए। ये वे अभियंता हैं जिन्हें 28 अप्रैल 2012 से पहले व 15 नवंबर 1997 के बाद प्रमोशन मिला है।

11 को दो पद आना पड़ा पीछे

पदावनत 60 अभियंताओं में 11 अभियंता ऐसे हैं जिन्हें दो-दो पद पीछे आना पड़ा है। इन्हें अधिशासी अभियंता से सीधे अवर अभियंता (जूनियर इंजीनियर) बना दिया गया है। दरअसल ये वे अभियंता हैं जिन्हें पदोन्नति में आरक्षण व परिणामी ज्येष्ठता के आधार पर दो-दो प्रमोशन मिल गए थे। अब इन अभियंताओं के दोनों प्रमोशन वापस लेकर उनके मूल पद पर भेजा गया है।

क्लास-2 के अभियंताओं की लिस्ट आनी बाकी : प्रदेश सरकार ने क्लास-1 के अभियंताओं को तो पदावनत कर दिया है। अब सरकार क्लास-2 के अभियंताओं की सूची को अंतिम रूप दे रही है। सहायक अभियंता से अवर अभियंताओं की सूची भी शीघ्र जारी की जाएगी।

मुख्य अभियंता स्तर-2 से ये हुए अधीक्षण अभियंता : अवधू राम, राजपाल सिंह, शंकर राम व सेवालाल।

अधीक्षण से ये हुए अधिशासी अभियंता : ओम प्रकाश, तिलक राम मोंगा, जय विलास, मुन्ना लाल, सुरेश चन्द्र आर्य, रामाधार, भगौती प्रसाद, कंवर पाल, श्याम नारायण कनौजिया, लौटूराम, संदीप कुमार, सूरज पाल सिंह, गोपाल सिंह, हरप्रसाद, राजपाल सिंह, ताराचन्द्र, सेवाराम, शंकर दयाल राम, देवकीनंदन, अशोक कुमार सिंह, राज्यपाल सिंह, रमेश चन्द्र, कृष्ण कुमार, यतेन्द्र पाल सिंह, सोरण सिंह और रमेश चन्द्र वर्मा।

ये अधिशासी से हुए सहायक अभियंता : प्रेम चन्द्र, रामेश्वर दयाल कठारिया, प्यारे लाल, लालमन, सुभाष चन्द्र, रमेश चन्द्र, अशोक कुमार, राजा राम अहिरवार, जयपाल सिंह, छक्की लाल, शकल देव, कपिल देव, परशुराम चौहान, गुलाब चन्द्र, नैन सिंह, नान्हक राम, राम सागर, प्रदीप कुमार और दयानाथ प्रसाद।

ये अधिशासी से हुए अवर अभियंता : नरेंद्र सिंह पतलियाल, वासुदेव, रामेश्वर श्रीवास, अनिल कुमार, हरिशचन्द्र वर्मा, चेतराम, बाल किशन, बेचे लाल सागर, जगजीवन, सतीश चन्द्र और राम पुकार राम।

प्रमोशन में कोटा खत्म करने के खिलाफ बांधी काली पट्टी

- संघर्ष समिति ने कहा, कई पदों पर दलित वर्ग के लोग ही नहीं
- आरक्षण विरोधियों ने कहा, हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा

कृषि भवन में आरक्षण समर्थकों ने काली पट्टी बांध किया काम।

लखनऊ (ब्यूरो)। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर आरक्षण समर्थक अधिकारियों व कर्मचारियों ने प्रमोशन में आरक्षण समाप्त करने के विरोध में बृहस्पतिवार को काली पट्टी बांधकर काम किया। संघर्ष समिति के नेताओं ने कहा कि संविधान में दी गई आरक्षण व्यवस्था के अनुसार अनुसूचित जाति व जनजाति के कर्मचारियों का 23 प्रतिशत प्रतिनिधित्व होना चाहिए। पर, वर्तमान में कई विभागों में नाममात्र का ही प्रतिनिधित्व है।

समिति के संयोजकों केबी राम, अवधेश कुमार वर्मा व आरपी केन ने कहा कि सपा एक तरफ 11 जुलाई को आजमगढ़ में दलित सम्मेलन कर रही है तो दूसरी तरफ दलित कार्मिकों को मुख्य धारा से हटाने की साजिश रची जा रही है। संयोजकों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग में ही प्रबंध निदेशकों के छह, निदेशक डिस्काम के 21 और निदेशक मुख्यालय के 18 पदों में दलित वर्ग का एक भी व्यक्ति नहीं है। उन्होंने कहा, काली पट्टी बांधकर विरोध जताने का आंदोलन तीन दिन जारी रहेगा।

उधर, प्रमोशन में आरक्षण का विरोध कर रहे अधिकारियों व कर्मचारियों के संगठन सर्वजन हिताय संरक्षण समिति ने आरोप लगाया कि कुछ लोग संविधान की मंशा और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की व्याख्या अपनी सुविधानुसार कर रहे हैं। समिति के अध्यक्ष शैलेन्द्र दुबे ने कहा, प्रदेश के सामान्य व पिछड़े वर्ग के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ वर्षों से चले आ रहे अन्याय को सर्वोच्च अदालत ने समाप्त किया है। इन वर्गों के अधिकारियों व कर्मचारियों को न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। इसी नाते इस वर्ग ने इस मुद्दे पर शुरू से ही कोर्ट से न्याय मांगा।

उत्तर पश्चिम रेलवे — **शुद्धि-पत्र**

संख्या : डब्ल्यू.ए./टेण्डर/14/2015 — दिनांक : 07.07.2015

इस कार्यालय द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या डब्ल्यू.ए./टेण्डर/11 2015 दिनांक 15.06.2015 के अन्तर्गत दी गई **निविदा संख्या 63/2015, निविदा संख्या 72/2015** जो कि दिनांक 20.07.2015 को 14.30 बजे तक निविदा पेटी में डाली जानी और उसी दिन 15.00 बजे खोली जानी है तथा **निविदा संख्या 91/2015** जो कि दिनांक 21.07.2015 को 14.30 बजे तक निविदा पेटी में डाली जानी और उसी दिन 15.00 बजे खोली जानी है, इन निविदाओं में निम्नानुसार आवश्यक सुधार किये गये हैं : **1. निविदा संख्या 63/2015 के निविदा फार्म में पृष्ठ संख्या 2 पर Amount of Earnest Money में दर्शायी राशि Rs. 37270/- को सुधार कर Rs. 37370/- पढ़ा जाये।** निविदा की अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी। **2. निविदा संख्या 91/2015 के निविदा फार्म के पृष्ठ संख्या 31 पर Add:@18.045% Above के स्थान पर सुधार कर Add:@15.639% Above** तथा **पृष्ठ संख्या 32 पर SUMMARY OF SCHEDULES में कॉलम नंबर 4 में 16.639% Above के स्थान पर 15.639% Above पढ़ा जाये।** निविदा की अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी। **3. निविदा संख्या 72/2015 को संशोधित रूप से निम्नानुसार पढ़ा जाये : निविदा संख्या** : 72/2015 **कार्य का नाम** : मदार पालनपुर खण्ड – सहायक मण्डल इंजीनियर–आबूरोड़ व मारवाड़ जं. के कार्यक्षेत्र में हरिपुर से अउवा तथा बांतारघुनाथगढ़ से करजोड़ा स्टेशनों के मध्य स्टेशनों पर न्यूनतम आवश्यक मूलभूत सुविधायें जैसे वेटिंग हॉल, प्लेटफार्म शेल्टर, पानी के नल व सीटें, यात्री उद्घोषणा सिस्टम आदि बनाने का कार्य। **अनुमानित लागत** : रूपये 2,49,72,773/– **बयाना राशि** : रूपये 2,74,870/– **निविदा खुलने की दिनांक** : 20.07.2015 निविदा की निविदा अनुसूची में आवश्यक सुधार किया गया है। संशोधित निविदा प्रपत्र जारी किया गया तथा संशोधित निविदा प्रपत्र ही मान्य होगा, जो कि उत्तर पश्चिम रेलवे की वैबसाईट **www.nwr.indianrailways.gov.in** पर उपलब्ध है।

624-AL/15 — मण्डल रेल प्रबन्धक (नि.ले.) अजमेर।

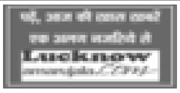

उत्तर पश्चिम रेलवे — **खुली निविदा सूचना**

यांत्रिक कार्य के लिए खुली निविदा वर्ष 2015–16 NIT 04/2015-16 (C&W JU)

1. कार्य का नाम/स्थान अवधि : Supply installation & commissioning of Automatic coach washing plant with effluent treatment Plant at DEMU depot, Merta Road and operation of Automatic coach washing plant with effluent treatment including Comprehensive Maintenance for three years. The tenderer must have previous experience in carrying out similar nature of work defined as "Supply of equipments, installation and commissioning of automatic rail coaching washing plant or road vehicle washing plant". उ.प.रे., जोधपुर One Year for commissioning and Three years for operation & CMC. **2. कार्य की अनुमानित लागत** : रू. 2,16,33,000/– **3. बयाना राशि जो कि जमा करानी है** : रू. 2,58,200/– **4. टेण्डर प्रस्तुत करने एवं टेण्डर खुलने का समय व दिनांक** : 15.00 बजे, दिनांक 12.08.2015 उसी दिन तत्पश्चात् खोली जायेगी। **5. वेबसाईट विवरण एवं सूचना पट्ट का स्थान जहां से टेण्डर की पूर्ण जानकारी देखी जा सकती है: www.nwr.indianrailways.gov.in** कैवंवे सूचना पट्ट पर। **NOTE :** The tender documents can also be downloaded from the website of North Western Railway **(www.nwr.indianrailways.gov.in)**, the cost of downloaded tender documents to be submitted along with tender documents in the form of demand draft/pay order in favour of Sr. Divl Finance Manager, North Western Railway, Jodhpur, failing it, offer will be summarily rejected.

627-AL/15

रेल यात्री सामान्य शिकायत हेतु हैल्प लाइन न. 138 पर सम्पर्क करें।

वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०

COMFED

फीडर बैलेंसींग डेयरी कॉम्पलेक्स, फुलवारीशरीफ, पटना–801505

Phone : 0612-2253316, 2252542, 2252553

सूचना

बिहार राज्य के अग्रणी को–ऑपरेटिव संस्था वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि० की इकाई फीडर बैलेंसींग डेयरी, जिसकी हस्तन क्षमता 2.5 लाख लीटर प्रतिदिन है, के इफ्लुयेंट ट्रीटमेंट प्लांट (ई टी पी) को इफ्लुयेंट के उपचारित करने के कार्यो को नियंत्रित करने तथा उसके उपचारित इफ्लुयेंट जो कि विहार राज्य प्रदूषण पर्षद/केन्द्रीय प्रदूषण पर्षद के मानकों के अनरूप हो, के लिए आवश्यक तकनिकी सहायता एवं विशेषज्ञ सलाह हेतु एक कुशल/दक्ष सलाहकार की आवश्यकता है, जिन्हें ख्याति प्राप्त डेयरी इण्डस्ट्रीज के एफ्लुयेंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित एवं परिचालन करने का अनुभव प्राप्त हो, से मुहर बंद लिफाफा में जिसमे नाम, पता/(यदि फार्म में हो तो मेमोरेंडम ऑफ आर्टेकिल) पता, पैन नं० टीन/वैट सं०, सर्विस टैक्स न० आयकर रिर्टन तीन वर्षो का डेयरी इण्डस्ट्रीज के इफ्लुयेंट ट्रीटमेंट प्लांट (न्यूनतम हस्तन क्षमता के प्लांट) को स्थापित करने का अनुभव हो, की छायाप्रति के साथ अपना कन्सलटेशन फीस, निम्न पते पर विज्ञापन के/प्रकाशन के पंद्रह दिनों के अन्दर ईमेल/पोस्ट/कोरियर से प्रस्तुत किया जाता है।

प्रबन्ध निदेशक,

वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, फीडर बैलेंसींग डेयरी, फुलवारीशरीफ पटना– 801505

नोट :– फीडर बैलेंसींग डेयरी के ई टी पी का तकनीकी विवरण डेयरी के वेबसाइट **www.patnadairy.org** पर देखा जा सकता है।

प्रबन्ध निदेशक

कार्यालय-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जालौन स्थान उरई

पत्रांकः बे.अधि./ प्रशि.भर्ती/ /2014-15 दिनांक- 09.07.2015

विज्ञापन

प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 में चयनित अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी के आठवीं चरण की अन्तिम चयनित सूची प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पिण्डारी जालौन से प्राप्त हुई है तथा चयनित प्रशिक्षु शिक्षकों को सूची http://jalaun.nic.in पर उपलब्ध करा दी गई है। आठवीं सूची के रिक्त पदों के सापेक्ष 5 गुना अभ्यर्थियों का कट ऑफ विवरण निम्नवत है-

श्रेणी	महिला		पुरुष	
	कटऑफ	जन्मतिथि	कटऑफ	जन्मतिथि
अनारक्षित कला	110	26.08.1988	-	-
अन्यपिछडा वर्ग कला	100	21.04.1984	-	-
अनसूचित जाति कला	-	-	101	24.03.1977
अनारक्षित विज्ञान	116	05.07.1989	-	-
अन्यपिछडा वर्ग विज्ञान	101	20.08.1984	112	16.07.1978
अनुसूचित जाति विज्ञान	90	03.05.1984	102	10.10.1988
दृष्टि बाधित विकलांग	-	-	99	07.10.1985

कार्यालय उपजिलाधिकारी भिनगा, जनपद-श्रावस्ती

संख्याः मेमो/ र.का./ प्रे.वि./ 2015-16 — दिनांक 8, जुलाई, 2015

विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या-260/01.02.2013-96 (रिट) दिनांक 27.05.2013 और मा. उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 18838/2012 प्रमोद कुमार कहार व अन्य बनाम उ.प्र. सरकार व अन्य में पारित आदेश दि. 16.04.2012 के अनुक्रम में तहसील भिनगा के ग्रामों में उपलब्ध तालाब ग्राम बभनी की गाटा संख्या 419/0.688 क्षेत्रफल नीलामी की तिथि 16.07.15 को तालाब की नीलामी/आवंटन मत्स्य पालन हेतु विशेष शिविर का आयोजन पूर्वान्ह 11.00 तहसील मुख्यालय भिनगा सभाकक्ष में होगा।

नीलामी में बोली बोलने की पात्रता व शर्तें निम्नवत है-

1- नीलामी बोलने वाला व्यक्ति ग्राम पंचायत में निवासरत मछुआ समुदाय का व्यक्ति हो, अन्यथा की स्थिति में न्यायपंचायत स्तर पर निवासरत मछुआ समुदाय का व्यक्ति हो, अन्यथा की स्थिति में ब्लाक स्तर पर निवासरत मछुआ समुदाय का व्यक्ति हो, अन्यथा की स्थिति में ग्राम पंचायत में निवासरत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हो, अन्यथा की स्थिति में न्यायपंचायत स्तर पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हो, अन्यथा की स्थिति में ब्लाक स्तर पर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति हो।

2- नीलामी में बोलने से पूर्व बोली बोलने वाले को मु. 2000/-रू. जमानत के रूप में जमा करना होगा।

3- सर्वोच्च बोली बोलने वाले के अतिरिक्त सभी की जमा जमानत धनराशि वापस कर दी जायेगी।

4- सर्वोच्च बोली बोलने वाले को बोली की धनराशि का 1/4 धनराशि तत्काल जमा करना होगा। शेष 3/4 धनराशि 15 दिवस के अन्दर जमा करना होगा। नियत समय पर 3/4 धनराशि न जमा करने पर 1/4 धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

भारत सरकार

अपने विज्ञापन से जीतें नगद इनाम

स्वतंत्रता दिवस

के अवसर पर हमें भेजें अपने रोचक प्रिंट विज्ञापन

विषय : लोकतंत्र में जन-भागीदारी

प्रविष्टि भेजने की अंतिम तिथि : 31-07-2015

₹15,000

VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD

PATNA DAIRY PROJECT

Feeder Balancing Dairy Complex, Phulwarisharif, Patna - 801505

Phone 0612-2252553,2252542, 2251622, Fax 2250325

E.mail:vpmunin@gmail.com

COST OF OFFER DOCUMENT Rs. 1000/- (One thousand Only)
(To be Submitted in form of DD in favour of Vaishal Patliputra Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd. Payble at Patna.)

OFFER DOCUMENT

Vaishal Patliputra Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd. (VPMU) invites offers from reputed Consultants/Firms well experienced in giving consultancy for Effluent Treatment in Dairy Industry.

Objective & Purpose :

To suggest the smooth functioning of our 2.5 LLPD Dairy Effluent Treatment Plant located at Patna , Bihar & to obtain discharge as per norms laid down by Central Pollution Control Board/Bihar State Pollution Control Board.

Procesdure for submission of EOI :

The interested Consultant/ Firms may submit their offer in sealed or covered envelope superscribed as " Offer for Consultancy Services " on or befor 25th July 2015 by 05.00 PM.However if the last day is designated as holiday the tender may be received on the next day.

The Tender will be opened on 27th July 2015 at 11.00 AM in the meeting hall of VPMU in presence of interested representatives of the tenderer , who wish to be present.

Eligibility Criteria

1.The bidder should have experience of handling three years effluent treatment assignment of similar capacity effluent treatment plant (photocopy of the work order to be enclosed)

2. Following documents to be enclosed with the bid.

- **(a) Photograph .. 2 Nos (self attested) for individual/ Article of Memorandum for Firm**
- **(b) Address Proof - (Xerox)**
- **(c) PAN No. (Xerox)**
- **(d) CST No. (Xerox)**
- **(e) TIN No./VAT No. - (Xerox)**
- **(f) Service Tax Regn. No. - (Xerox)**
- **(g) Income Tax Return - Last two years**

VAISHAL PATLIPUTRA DUGDH UTPADAK SAHKARI SANGH LTD

PATNA DAIRY PROJECT

Feeder Balancing Dairy Complex, Phulwarisharif, Patna - 801505

Phone 0612-2252553,2252542, 2251622, Fax 2250325

E.mail:vpmunin@gmail.com

Details to be Incorporated

Photographs

1	NAME	
2	Mobile No.	
3	Self Attested Photograph	
4	(a)Address	
	(b)Pin Code	
5	(a)Identity Proof (Xerox)	
	(b)Address Proof (Xerox)	
	©PANCard (Xerox)	
	(d)VAT No./TIN No.	
	(e) CST No. (Xerox)	
	(f)Service Tax Registration Xerox)	
6	Last Two Years Return	
7	Earnest Money Deposit	
8	Any Other Document	

Signature ____________________

Date ______________________

Place ____________________

Feeder Balancing Dairy Complex, Phulwarisharif, Patna - 801505

Phone 0612-2252553,2252542, 2251622, Fax 2250325

E.mail:vpmunin@gmail.com

Earnest Money Deposit :

EMD should be 2 % of the total bid value (Consultancy charges + Project cost) .

Security Deposit :

Security Deposit should be10 % of the total bid value (Consultancy charges + Project cost) , which may be submitted in the form Bank Guaranty of any Nationalised Bank . by the successful bidder

a. The bidder shall have to meet the following minimum financial eligibility criteria. E M D Is to be deposited with the Bid.

i. Any tender, which is not accompanied by the Earnest Money Deposit as mentioned above shall be rejected. The Earnest Money of unsuccessful tenderer shall be returned after finalizing the contracts (maximum within 60 days) but without any interest on it.

However, the Earnest Money Deposit of the successful tenderer shall be retained as Security Deposit. In the event of withdrawing the offer before the expiry of the validity period, the Earnest Money retained as the Security Deposit will be forfeited.

ii. No interest shall be paid on the Earnest Money/Security Deposit for the entire period during which it is retained by us.

iii. The tenderer shall state his completed address in the tenders to which the work orders, notice and further correspondence pertaining to the tenders and agreements shall be sent. Any change of address subsequently shall also be notified in writing to the VPMU, Feeder Balancing Dairy Complex , Phulwarisharif , Patna -801 505..

b. **Security Deposit**

The Earnest Money Deposit (EMD) of successful tenderer selected for Consultancy work will be converted as Security Deposit. The Security Deposit shall continue to remain with VPMU till the work order will be completed satisfactorily and this amount shall not bear any interest, during the period, which it is kept as deposit with VPMU.

c. In case of mathematical errors in computations found in tenders and in case of substantial non-conformity with the specifications or if it contains any inadmissible reservations seen or otherwise, in contravention to the letter of the tender documents, such tender shall be summarily rejected.

d. **Prices**

i. The prices bid shall be quoted in two segments (Consultancy charges & percentage of the Peroject Cost) on F.O.R. Patna ,Bihar basis .

ii. The break-up of cost shall be necessarily given clearly. It should indicate estimation , suggested project cost ,consultancy charges etc. & Taxes (indication of different type of Taxes should be bifurcated separately). Total cost parameter wise shall also be reflected.

iii. Rate shall be quoted in figures as well as words

f. **Scope of Work & terms & condition :**

1.O CONSULTANT'S SERVICES - Scope of works

1.1 The Consultant shall study the existing ETP and prepare a detailed report including justification and design/working calculation and submit the following to VPMU.

1.2 Study of existing ETP and workout capacity and raw effluent characteristics (average and peak) being encountered by the existing plant for a minimum period of 7 days by taking actual measurements at site and study of last one year records available with VPMU.

1.3 Study of product mix planned for Patna Dairy Project, present and projected water consumption for the plant and workout estimated quantum of total effluent generated and raw effluent characteristics (average and peak) for combined ETP.

1.4 Work out the detailed scheme and cost estimate including the cost of pipe line for carrying the effluent from the modified ETP for treating the entire effluent of the existing as well as proposed milk processing and product manufacturing facilities with present existing ETP after suitably augmenting it.

1.5 To make a presentation on above (mentioned at 1.4 or any other techno – commercially viable scheme of treatment for effluent to VPMU.

1.6 Based on scheme and agreement to the proposed estimated cost, finalized during presentation on draft paper, the final report shall e prepared and submitted by the Consultant to VPMU.

1.7 Based on the scheme finalized, the Consultant shall prepare detailed design for carrying out effluent from dairy plant site to treatment site/location, process flow for the treatment, hydraulics, different units, equipment (including capacity, rating etc & three reputed comparable makes), piping & valve schedule (indicating size, MOC) including electrical controls & systems. The consultant shall also analyse and design the reinforced concrete and steel structures and other units & equipment using the latest technology and latest releant IS codes. The design of the structures shall be earthquake resistant pursuant to relevant zones and as per the provision of IS codes. A confirmation to the effect should e furnished by the Consultant on the drawings.

1.8 The Consultant shall prepare the schedule of quantities in consultation with VPMU of all the items including new/deviated items, for arriving at the cost estimates to be incorporated in the tenders, for which no additional fee shall be paid.

1.9 The Consultant shall work out and inform the appropriate quantities of steel and cement required in the structural elements.

1.10 Provide occasional site supervision during construction, as and when required and mutually decided. On completion of such supervision, the Consultant shall submit a report on the observations made and recommendations suggested.

1.11 The Consultant shall also be responsible for preparation and furnishing working drawings in respect of electrification of ETP.

1.12 The Consulant shall prepare and supply the following for consultancy services rendered :

a) four sets (hard copy) of complete working/execution drawings prepared on AUTOCAD & a softy copy of the same in PDF (on CD) giving full details which are necessary for the proper execution of the works.

b) Two sets of final completion (as executed) drawings (hard copy) prepared on AUTOCAD, incorporating changes effected in actual execution & a softy copy of the same (on CD) in PDF.

1.13 It shall be the responsibility of consultant to run the ETP for a period of 3 months after completion of ETP works to show the performance. The operational charges for the 3 months will be decided mutually between the consultant and the VPMU. The operation for 3 months for the performance confirmation will be done by the consultant and charges will be paid by VPMU.

1.14 If the consultant is caused extra drawing and design work or put to other expenses due to changes ordered by the VPMU or due to the delinquency or insolvency of the contractror or as a

Feeder Balancing Dairy Complex, Phulwarisharif, Patna - 801505

Phone 0612-2252553,2252542, 2251622, Fax 2250325

E.mail:vpmunin@gmail.com

result of damage by fire or natural calamity or for any reasons whatsoever without their fault, they shall be equitably paid for such expenses and services involved, at the discretion of VPMU.

However, minor corrections may not be charged for by the consultant.

1.15 The consultant will be prepared the detailed specification for the mechanical electrical and piping works. For the mechanical equipment the VPMU will invite the detailed quotations and the consultant will assist the VPMU for supervision during erection.

1.16 For the electrical and piping works, the detailed specifications will be given to the union and the VPMU will invite quotations. The consultant will assist the VPMU in evaluating the same and placing the order on the vendors.

1.17 The parameters for State Pollution Control Board is attached in AnnexureI.

g. **Placement of order & payment terms**

i. Order may be distributed to more than one party on approval rate for different parameters.

ii. You will have to place your bill within 7th of the next month and the payment will be done within 15 days of certification of bill by Manager,Dairy.

iii Canvassing in any form or manner shall lead to disqualification of the bidder.

h. **Delivery period** :

Delivery period as indicated in work order should be for one year and may be extended further on mutual consent of Consultant & VPMU.

i. **Sub-contract**

Sub-contracting of order in part/full to any other party/supplier shall not be allowed. Parties, sub-contracting the supplies may be black listed.

j . **Validity**

The offer (rate so finalized) shall be valid for one year from the date of contract. It may be extended on mutual consent of Consultant & VPMU for further period on same, rate, terms & conditions.

k. **Force Majeure Clause**

The terms and conditions mutually agreed upon shall be subject to Force Majeure clause. Neither the Consultant nor VPMU shall be considered in default in performance of its obligations hereunder, if such performance is prevented or delayed by war, hostilities, revolution, civil commotion, strike, epidemic, accident, fire, wind, flood, earth quake or because of any law proclamation, regulation or ordinance of any Government or of any act of God or of any other cause whether of similar or dissimilar nature, beyond the reasonable control of the party affected. Should one or both the parties be prevented from fulfilling his/their obligations by a state of Force Majeure lasting continuously for a period of six months, the two parties shall consult each other regarding the future execution of the work orders.

l. **Risk Purchase**

In case of failure to execute the work as per schedule, the order may be cancelled. VPMU may go for hiring another Consultant at the risk and cost of Consultant. The additional amount so spent shall be recovered from the pending bill or security deposit of the Consultant/Firm.

Managing Director, VPMU reserves the right to accept or reject any or all tenders without assigning any reasons thereof.

m. **Arbitration**

If any dispute or differences arise at any time between the two parties in respect of or concerning anything herein contained or arising out of the agreement or as to the rights, liabilities or duties of supplier and milk Dairies, the same shall be referred to the sole Arbitrator the Managing Director, VPMU, Patna. The decision of the Arbitrator shall be final and binding on the parties.

n. For all legal matters and disputes Patna court shall be our jurisdiction. Managing Director, VPMU will be the sole arbitrator and his / her decision will be binding on both parties. Any money found recoverable shall be recovered under the Public Demand Recovery Act.

I/We accept the terms and conditions.

Signature of the party with
Office stamp

ANNEXURE – I

Sr No.	Industry	Parameter	Standards	
1	2	3	4	
[1]56.	**DAIRY**	**EFFLUENTS**	Concentration in mg/l except pH	Quantum per product processed
		pH	6.5 – 8.5	-
		*BOD [2][3 days at 27°C]	100	-
		** Suspended Solids	150	-
		Oil and Grease	10	-
		Waste Water generation	-	$3m^3$/Kl of milk

Note :*BOD may be made stringent upto 30 mg/l if the recipient fresh water body is a source for drinking water supply. BOD shall be upto 350 mg/l for the chilling plant effluent for applying on land provided the land is designed and operated as a secondary treatment system with suitable monitoring facilities. The drainage water from the land after secondary treatment has to satisfy a limit of 30 mg/l of BOD and 10 mg/l of nitrate expressed as _N". The net addition to the groundwater quality should not be more than 3 mg/l of BOD and 3 mg/l of nitrate expressed as _N". This limit for applying on land is allowed subject to the availability of adequate land for discharge under the control of industry. BOD value is relaxable upto 350 mg/l, provided the wastewater is discharged into a town sewer leading to secondary treatment of the sewage.

** Suspended solids limit is relaxable upto 450 mg/l, provided the wastewater is discharged into town sewer leading to secondary treatment of the sewage.

57.	TANNERIES	EFFLUENTS	Concentration in mg/l except pH	Quantum per raw hide processed
		pH	6.5 – 9.0	-
		*BOD [2][3 days at 27°C]	100	-
		Suspended Solids	100	-
		Sulphides (as S)	1	-
		Tototal Chromium (as Cr)	2	
		Oil and Grease	10	-
		Waste Water generation	-	$28\ m^3/T$

* For effluent discharge into inland surface waters BOD limit shall be made stricter to 30 mg/l by the concerned State Pollution Control Board.

1 Sl. No. 56 to 61 and entries relating thereto inserted vide GSR 475(E) dated 5.5.92 published in the Gazette No. 202 dated 5.5.92.

2 Substituted by Rule 2 of the Environment (Protection) Amendment Rules, 1996 notified by G.S.R. 176(E), dated 2.4.1996 may be read as BOD (3 days at 27°C) wherever BOD 5 days 20°C occurred.

AGM (Pur.) PL
9/4/11